



नालसा (चाइल्ड-फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन) स्कीम, 2024

प्रत्येक बच्चे को न्याय का अधिकार है, केवल उसके आश्वासन का नहीं।

आपका अधिकार ♥ आपकी आवाज़ ♥ हमारा समर्थन



यह योजना क्यों आवश्यक?

बच्चों को अक्सर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें अपने अधिकारों या मदद माँगने के तरीकों की जानकारी न हो। यह योजना सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित और बाल-अनुकूल कानूनी सहायता मिले, जिससे सभी के लिए समानता और समान अवसर को बढ़ावा मिले। यह योजना न्याय व्यवस्था के भीतर एक बाल-संवेदनशील वातावरण का निर्माण करती है और भारत के समावेशी समाज के दृष्टिकोण का समर्थन करती है जहाँ कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

बच्चों के लिए विधिक सहायता कोई सुविधा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है।

कैसे मदद मिल सकती है? (कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा)

- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक
- देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक
- दुर्व्यवहार, तस्करी, मानसिक हिंसा के शिकार बालक
- बाल श्रम और बाल विवाह के शिकार बालक
- गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन (एमटीपी) की मांग करने वाले बालक
- अदालती मामलों में शामिल बालक (नागरिक/आपराधिक/प्रशासनिक)
- दिव्यांग बालक
- गुमशुदा, परित्यक्त या अनाथ बालक

क्या सहायता प्रदान की जा सकती है?

- प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADCs) तथा पैरा-विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता।
- बाल-केंद्रित, लैंगिक-संवेदनशील, दिव्यांगजन-समर्थक एवं आघात-संवेदनशील सहायता।
- पुलिस जांच से लेकर मुकदमे की कार्यवाही तक हर चरण पर सहायता
- पॉक्सो पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में सहायता
- बचाव, पुनर्वास और सुरक्षा के लिए सहायता
- दत्तक ग्रहण, अभिरक्षा और पारिवारिक मामलों में सहायता
- सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुँचने में सहायता

बच्चों सहायता कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)
- तालुका विधिक सेवा समितियाँ (टी.एल.एस.सी.)
- फ्रंट ऑफिस और विधिक सहायता क्लीनिक
- पुलिस थाना और बाल न्यायालय
- किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)
- बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.)
- जेल, ज़िला बालक संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.), और वन स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.एस)
- बालक देखरेख संस्थाएँ (सी.सी.आई)

विशेष सहायता प्रणाली

हर ज़िले में एक **लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन** (एल.एस.यू.सी.) बनाई गई है, जिसमें शामिल हैं:

- प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ता
- प्रशिक्षित लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एल.ए.डी.सी.)
- प्रशिक्षित पैरा-विधिक स्वयंसेवक (पी.एल.वी.)

याद रखें

- कानूनी मदद पूरी तरह से मुफ्त है।
- हर बच्चे को न्याय, सुरक्षा और सम्मान पाने का हक है।
- किसी भी बच्चे को भेदभाव या कलंक का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- बच्चों को सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण में सुना जाएगा।
- उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं।

एक नई शुरुआत, निष्पक्ष आवाज़ और सुरक्षित भविष्य — हर बच्चे के लिए

कानूनी सहायता हेतु

इस लिंक पर जाएँ - <https://nalsa.gov.in> या

<https://scourtapp.nic.in/lams>

कानूनी सहायता हेल्पलाइन पर कॉल करें:

15100

अपने निकटतम

एस.एल.एस.ए. / डी.एल.एस.ए. जाएँ।

चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करें:

1098



हर बच्चा मायने रखता है | आइए, न्याय, संरक्षण और समान अवसरों के लिए एकजुट हों |

सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण



nalsa.india.1



nalsalegalaid



NalsaLegalAid



@NALSA



National Legal Services Authority



महिला एवं बाल विकास विभाग